<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2023 **दायर दिनांकः 10/07/2023**

उनवान

1. शम्भू सिंह आयु 66 वर्ष पुत्र सरदार सिंह
2. दुर्गा सिंह आयु 54 वर्ष पुत्र सरदार सिंह जातियान राव निवासीगण अन्ताना तह. अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 13.01.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 320 का खसरा न. 122 का रकबा 0.13 है0, ख.न. 590/1137 का रकबा 0.17 है0, ख.न. 591 का रकबा 1.06 है0, खसरा नः 743 का रकबा 2.73 है0, ख.न. 745 का रकबा 2.17 है0 कुल किता 5 का रकबा 6.26 है0 आराजी हिस्सा 2/15, 2/15 दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है —

<u>नाथूलाल उर्फ भैरूलाल</u>

↓ सरदार सिंह — ↓ छीतर सिंह

सरदार सिंह → शम्भू सिंह, दुर्गा सिंह

छीतर सिंह → गोरधन सिंह

प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजीयत में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही व त्रुटिपूर्ण कार्य करते हुए प्रार्थीगण की जाति राव होते हुए भी उसके स्थान पर राव राजपूत राजस्व रिकॉर्ड नक़ल जमाबन्दी में अंकित कर दिया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की सही जाति राव है। जो कि नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2032 में प्रार्थीगण के दादाजी नाथूलाल वल्द भैरुलाल कौम राव दर्ज है। जिसमे प्रार्थीगण के दादाजी की जाति राव ही दर्ज है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2032 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण के दादाजी नाथूलाल वल्द भैरूलाल कौम राव का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात नामान्तरण दर्ज करते वक़्त पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के पिता सरदार सिंह व काका छीतरलाल की जाति राव राजपूत अंकित कर दी और तब से ही जमाबन्दी पर जाति राव राजपूत अंकित चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2038 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपनी जाति राव राजपूत के स्थान पर राव दर्ज करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थीगण की जाति गलत अंकित कर देने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना में अंकित खाता 320 का खसरा न. 122 का रकबा 0.13 है0, ख.न. 590/1137 का रकबा 0.17 है0, ख.न. 591 का रकबा 1.06 है0, खसरा न. 743 का रकबा 2.73 है0, ख.न. 745 का रकबा 2.17 है0 कुल किता 5 का रकबा 6.26 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति राव राजपूत के स्थान पर राव दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2024/35 दिनांक 07.01.2025 से रिपोर्ट भिजवायी गई, जो शामिल फाईल की गई तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहसी सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071—74 खाता संख्या 320, मिलान क्षेत्रफल ग्राम अन्ताना, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2032—38 खाता संख्या 174, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2013—32 खाता संख्या 154, आधार कार्ड शम्भू सिंह, आधार कार्ड दुर्गा सिंह व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, तहसीलदार अटरू तथा राज्य सरकार के परिपत्र — राजस्व (ग्रुप—6) विभाग के कमांक प0 4(1)राज—6/2002/16 जयपुर दिनांक 28.12.2017 के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अन्ताना में आराजी खाता संख्या 320 का खसरा न. 122 का रकबा 0.13 है0, ख.न. 590/1137 का रकबा 0.17 है0, ख.न. 591 का रकबा 1.06 है0, खसरा न. 743 का रकबा 2.73 है0, ख.न. 745 का रकबा 2.17 है0 कुल किता 5 का रकबा 6.26 है0 आराजी में सहखातेदार दुर्गा सिंह पुत्र सरदार सिंह व शम्भु सिंह पुत्र सरदार सिंह की जाति रावराजपूत के स्थान पर जाति राव किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अन्ताना में आराजी खाता संख्या 320 का खसरा नं. 122 का रकबा 0.13 है0, ख.न. 590/1137 का रकबा 0.17 है0, ख.न. 591 का रकबा 1.06 है0, खसरा नं. 743 का रकबा 2.73 है0, ख.न. 745 का रकबा 2.17 है0 कुल किता 5 का रकबा 6.26 है0 आराजी में सहखातेदार दुर्गा सिंह पुत्र सरदार सिंह व शम्भु सिंह पुत्र सरदार सिंह की जाति रावराजपूत के स्थान पर जाति राव दर्ज किये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested